न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू
पीठासीन अधिकारी :– श्री विजेन्द्रसिंह R.A.S.

प्रकरण संख्या	किस्म मुकदमा	दायर दिनांक	आदेश दिनांक
05/2025	111, 128 LRA	20.01.2025	24.04.2025

1. बलकृष्ण शर्मा पुत्र माधोप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे चूरू जिला चूरू
2. अनिलकुमार सेठी पुत्र हनुमानप्रसाद सेठी जाति जैन निवासी ए/58 राधा बिहार कोलोनी न्यूसांगानेर रोड़ जयपुर– जरिए मख्तयार खास बालकृभण शर्मा पुत्र माधोप्रसाद शर्मा निवासी मनोरजन क्लब के पीछे चूरू तहसील व जिला चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. जुगल कंवर पुत्री रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
3. प्रतापसिंह पुत्र चनणसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
4. पुष्पा कंवर पत्नी महाबीरसिंह जाति चारण निवासी चारणवासी तहसील चूरू जिला चूरू
5. महेन्द्रसिंह पुत्र चनणसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
6. राधाकंवर पुत्री रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
7. सायर कंवर पत्नी रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
8. शिकोरी कंवर पत्नी चनणसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
9. संतोष कंवर पुत्री रमेशसिंह जाति राजपूत निवासी रामपुरा पट्टा झारिया तहसील व जिला चूरू
10. गाविन्द शर्मा पुत्र महाबीरप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी मैन मार्केट डूगला तहसील डूंगला जिला चितौड़गढ राज
11. रणसिंह पुत्र हिरानन्द जाति जाट निवासी नांगल जिला भिवानी (हरियाणा)

ण राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार

– अप्रार्थी–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र डुडी प्रार्थी
2. अधिवक्ता श्री संजय सिहाग अप्रार्थी संख्या 5
3. अधिवक्ता श्री शिवगौतम अप्रार्थी संख्या 4
4. पैरोकार राज

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

1. यह कि कृषि भूमि ख.नं. 192 तादादी 0.0253 हैक्टेयर ख.नं. 532/193 तादादी 4.4516 हैक्टेयर रोही मौजा रामुरा पट्टा झारिया पटवार हल्का खींवासर तहसील चूरू जिला चूरू में स्थित है जिसमें प्रत्येक प्रार्थी का 1/2–1/2 हिस्सा है। यह कृषि भूमि वादगत व प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित है।

2.यह कि प्रार्थी सं. 02 ने प्रार्थी सं. 01 बालकृष्ण शर्मा पुत्र माधोप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी चूरू को जरिए मुख्तयारमाना खास दिनांकित 12.07.2024 को सब रजिस्ट्रार दीमापुर नागालेण्ड से तस्दीक सुदा है से उपर वर्णित कृषि भूमि की देख रेख व अन्य आवश्यक कार्यवाही के निष्पादन हेतु अधिकार दे रखे है मुख्तयारखास दिनांक 12.07.2024 की फोटो प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की जा रही है।

3.यह कि प्रार्थी द्वारा अपनी उपर वर्णित कृषि भूमियो की पेमाश(नपती) करवाने के लिए अप्रार्थी सं. 12 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर हल्का पटवारी द्वारा मौका पर जा कर प्रार्थीगण की उपस्थिति में जरीब चला कर निशानदेही दी गई तो प्रार्थीगण की उपिस्थिति में जरीब चलाकर निशानदेही दी गई तो प्रार्थीगण की वादगत कृषि भूमि किस किस तरफ से कितनी कितनी दबी हुई है इस पर हल्का पटवारी ने कहा कि बिना सक्षम न्यायालय के पत्थरगढी व सीमांकन करवाने के आदेश के बिना मै यह बताने के लिए अधिकृत नहीं हूं किस किस तरफ से कितनी कितनी भूमि दबी हुई है मै निशानदी दिए जाने की रिपोर्ट तहसीलदार जी को कर देता हूं आप उस रिपोर्ट की नकल लेकर सक्षम न्यायालय से पत्थरगढी व सीमांकन करवाने की कार्यवाही करो इस पर प्रार्थीगण की ओर से अपनी उपर वर्णित कृषि भूमि पर पत्थरगढी व सीमांकन करवाने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

4. यह कि प्रार्थीगण उपर वर्णित कृषि भूमि के चिपती हुई पूर्वी तरफ अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 195 व 196 रोही मोजा रामपुरा पट्टा झारिया चिपती हुई पूर्वी तरफ की अप्रार्थी संख्या 10 की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 197 रौही मौजा रामपुरा पट्टा झारिया तथा उतरी तरफ चिपती हुई अप्रार्थी सं. 11 की खातेदारी की कृषि भूमि ख.नं. 545/199 रोही मौजा रामपुरा पट्टा झारिया की भूमि लगती है मौका पर सीमाए भी स्पष्ट नहीं है प्रार्थीगण के खेत पड़ौसियों के साथ खेतो की सीमाओं को लेकर ıकशत के समय मनमुटाव हो जाता है प्रार्थीगण शा[illegible] व्यक्ति है जो विधिवत् रूप से अपनी खातेदारी की कृषि भूमि को [illegible] सीमांकन करवाना चाहते है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:24 IST
Reason: SelfAttested

ताकि भविष्य में खेत पड़ौसियों (अप्रार्थीगण) के साथ आबादी में बसे लोगो के साथ किसी भी प्रकार का मनमुटाव ना हो इसलिए प्रार्थीगण द्वारा उक्त आशय का यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष पेश किया जा रहा है।

5यह कि प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार है इसलिए प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र के प्रति आधार प्राप्त है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 02.12.2024 को कहने से कि आपकी (प्रार्थीगण की) किस किस तरफ से कितनी कितनी भूमि दबी हुई है मै बिना सक्षम न्यायालय के पत्थरगभ व सीमांकन करवाने के आदेश के बिना सक्षम व अधिकृत नहीं हूं हल्का पटवारी की इन्कारी की तिथि से प्रार्थीगण को इस प्रार्थना पत्र के प्रति कारण प्राप्त है।

6. यह कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित वादगत कृषि भूमि श्रीमानजी के अधिकार क्षेत्र में स्थित होने से इस प्रार्थना पत्र के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित कोर्टफीस पर अन्द मियाद प्रस्तुत है।

7यह कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित कृषि भूमि का राजस्व रिकोर्ड अप्रार्थी संख्या 12 के पावर पजेशन में है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक आदेश के प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार होने की सूरत में मुताबिक आदेश के प्रार्थीगण की उपर वर्णित कृषि भूमि की सीमाओं पर पत्थरगढी व सीमाकन का कार्य अप्रार्थी सं. 12 के द्वारा किया जाना है अप्रार्थी सं. 12 ही भूमि के लैण्ड होल्डर है इसलिए अप्रार्थी सं. 12 को इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार बतौर अप्रार्थी बनाया गया है चूंकि प्रार्थीण के द्वारा अप्रार्थी सं. 12 के विरूद्ध कोई नुकसानप्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए अप्रार्थी सं. 12 को धारा 80 सीपीसी का नोटिस दिए बिना यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

8यह कि पत्थरगढी व सीमांकन में लगने वाला समस्त खर्च प्रार्थीगण वहन करने को तैयार है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.नं. 192 तादादी 0.0253 हैक्टेयर, ख.नं. 532/193 तादादी 4.4516 हैक्टेयर रोही मौजा रामपुरा पट्टा झारिया पटवार हल्का खींवासर तहसील व जिला चूरू की अप्रार्थी से टीम गठीत करवाई जाकर पुख्ता पत्थरगढी व सीमांकन करवाये जाने के आदेश फरमावे आपकी बड़ी कृपा होगी।

प्रार्थना–पत्र न्यायालय के क्षे[illegible]का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ सम्मन तलब कि[illegible] जिस पर अप्रार्थी संख्या 1,2,6से11 पर विधिवत तामील होने के बावजू[illegible] कोई उपस्थित नहीं आने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:24 IST
Reason: SelfAttested

Ali,

इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता शिवगौतम ने वकालतनामा पेश किया अधिवक्ता की ओर से निवेदन किया गया कि वे जवाब नहीं देना चाहते है जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 का जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता संजयसिहाग ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है कि मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि के चारों सीमाओं पर पुख्ता सींव बनी हुई है जिसमें काफी बडे–बड़े पेड़ खड़े है जिस कारण सींव को लेकर कभी कोई विवाद या मनमुटाव नहीं रहा है तथा नाही मुझ प्रार्थी के कब्जा में खातेदारी रिकॉर्ड से अधिक कृषि भूमि है मुझ अप्रार्थी को कृषि भूमि को रिकॉर्ड के अनुसार पूरी करते हुए सीमांकन कर पत्थरगढी की जाति है तो हमें कोई आपति नहीं जवाब प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष मे प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबंदी के अनुसार प्रार्थीगण वादगत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड से मौके पर भूमि कम है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं बहस पर मनन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में यह निवेदन किया गया कि वे कृषि भूमि खसरा संख्या 192 रकबा 0.0253 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 532/193 रकबा 4.4516 हेक्टेयर, रोही, मौजा रामपुरा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खींवासर, तहसील व जिला चूरू के खातेदार हैं। प्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी संख्या 1 को मुख्तयारखास नियुक्त कर रखा है। प्रार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी से भूमि की पैमाइश एवं सीमांकन हेतु आवेदन किया गया था, किंतु पटवारी द्वारा यह कह कर असमर्थता व्यक्त की गई कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी नहीं की जा सकती। विवाद का कारण यह बताया गया कि वादग्रस्त भूमि के चारों ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है तथा सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं जिससे प्रार्थीगण एवं पड़ोसियों के मध्य समय–समय पर मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। प्रकरण में कई अप्रार्थी अनुपस्थित रहे, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 4 एवं 5 ने अधिवक्ताओं के माध्यम से पक्ष प्रस्तुत किया, जिनमें से अप्रार्थी संख्या 5 ने कहा कि उनकी भूमि की सीमाएं स्पष्ट हैं, विवाद की कोई स्थिति नहीं है एवं यदि सीमांकन होता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। जमाबंदी रिकार्ड एवं दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार–काश्तकार हैं। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार भूमि का सीमांकन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मौके पर [illegible] रिकॉर्ड से मेल नहीं खा रहा है। अप्रार्थीगण की भूमि वादग्रस्त भूमि से चिप[illegible] और सीमाएं स्पष्ट नहीं होने के कारण भविष्य में विवाद की संभाव[illegible] सकता। राजस्थान भू–राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:24 IST
Reason: SelfAttested

Ah.

अधिनियम, 1956 की धारा 111 एवं 128 के अंतर्गत खातेदार अपनी भूमि की सीमांकन एवं पत्थरगढी के लिए सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से खातेदारों के अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से किसी के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना दृष्टिगोचर नहीं होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के अनुसार प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना--पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

संपूर्ण पत्रावली, दस्तावेज, बहस एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन उपरांत यह न्यायालय निम्न आदेश पारित करता है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.स. 192 रकबा 0.0253 हेक्टेयर एवं ख.स. 532/193 रकबा 4.4516 हेक्टेयर, रोही मौजा रामपुरा पट्टा झारिया, पटवार हल्का खींवासर, तहसील व जिला चूरू का सीमांकन एवं पुख्ता पत्थरगढ़ी की कार्यवाही की जाए। इस हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक टीम गठित की जाए, जिसमें संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार / नायब तहसीलदार सम्मिलित हों, जो मौके पर जाकर प्रार्थीगण की उपस्थिति में नियमानुसार सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी करें। कार्यवाही से पूर्व सभी संबंधित पक्षकारों को पूर्व सूचना दी जाए ताकि वे सीमांकन के समय उपस्थित रह सकें। सीमांकन एवं पत्थरगढी की समस्त कार्यवाही का विवरणात्मक पंचनामा एवं मानचित्र सहित रिपोर्ट तैयार करें। सीमांकन एवं पत्थरगढी में होने वाला समस्त व्यय प्रार्थीगण स्वयं वहन करेंगे। अप्रार्थी संख्या 12 (तहसीलदार) को इस आदेश के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाते हैं कि वे निर्धारित समयावधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण कराकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आदेश आज दिनांक 24.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुली अदालत में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह) RAS
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:29:24 IST
Reason: SelfAttested